तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 146/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/259) बअनवान बाबुराम बनाम देवीसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

बाबुराम व अन्य

बनाम

देवीसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भंवरसिंह गौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01 से 03
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 22

आदेश

दिनांक 10 जनवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर देचू के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2024 अनवान देवीसिंह व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 496 रकबा 15.9446 हैक्टेयर ग्राम मस्जिद की ढाणी तहसील देचू अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर समान कानूनी अधिकार रखता है। इस कारण अकेले अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों को पाबंद करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अन्य सहखातेदार भी बंटवाड़ा करने हेतु सहमत है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं वादीगण ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी अपने वाद में यह माना है कि वादग्रस्त आराजी में मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा हो रखा है अर्थात सभी पक्षकार अपने हिस्से अनुसार मौके पर अलग-अलग काबिज एवं काश्त करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में भारी भूल की गई है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट का कृषि कनेक्शन रुक गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2024 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। रेस्पोडेंट्स की ओर से विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश होने से पोषणीय नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 146/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/259) बअनवान बाबुराम बनाम देवीसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 496 रकबा 15.9446 हैक्टेयर ग्राम मस्जिद की ढाणी राजस्व रेकर्ड में अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि दर्ज है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2024 के जरिये अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को कृषि कनेक्शन स्थापित करने की छूट प्रदान की जाकर त्वरित वांछित अनुतोष प्रदान किया जा चुका है।अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु कृषि कनेक्शन की छूट को प्रभावी रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2024 में पक्षकारान् को कृषि कनेक्शन स्थापित किये जाने की छूट प्रदान करते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर